न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 31 / 2020 / अपील / एल0आर0एक्ट / बूंदी
दायरा दिनांक 7.8.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

गोपी आत्मज हरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम बूढकरवर तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
.......अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बूंदी–राज0।
.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री हेमेन्द्रसिंह आसावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्दीन अंसारी अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 219 / प्रार्थना पत्र / 2002 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 बउनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा बनाम गोपी आ0 हरपाल जाति मीणा निवासी बूढकरवर तहसील नैनवा जिला बूंदी मे पारित निर्णय दिनांक 24.10.2002 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के पक्ष मे आवंटन परार्मश दात्री समिति द्वारा ख0 नं0 8 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, ख0 सं0 10 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल 10 बीघा 7 बिस्वा ग्राम कनकपुरा का दिनांक 17.6.1999 को आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त करने के लिये तहसीलदार नैनवा द्वारा अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के अन्तर्गत आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर जेरअपील निर्णय दिनांक 24.10.2002 से अपीलांट गोपी को किया गया भूमि आवंटन दिनांक 17.6.99 निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं संचिका मे प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है, क्योंकि अपीलांट के पक्ष मे नियमाकनुसार बाद जांच पूर्ण कानूनी प्रकिया अपना कर उपरोक्त आराज़ी का आवंटन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर कोई रेकार्ड उपलब्ध नही होते हुये भी आवंटन खारिज कर त्रुटि की है। अपीलांट भूमिहीन काश्तकार की तारीफ मे आने से उसको आवंटन किया गया था। उक्त आराजी पर काफी पुराना कब्जा काश्त था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने भी माना है। आवंटित आराजी ही अपीलांट के परिवार की आय का एकमात्र साधान है यदि उक्त आराजी से बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट के सामने भूखों मरने की नौबत आ

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जावेगी। अपीलांट को उक्त निर्णय की कोई सूचना नही मिली सर्वप्रथम दिनांक 18.2.2015 को पटवारी द्वारा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने तथा आवंटन खारिज होने की बात कहने पर हुई। अतः जानकारी दिनांक 18.2.15 से नकले प्राप्त होने की दिनांक 20.2.2015 तक की अवधि मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय 24.10.2002 अति0 जिला कलक्टर बूंदी निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष मे हुये आवंटन को बहाल रखे जाने की इस्तदुआ की गई।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी भूमिहीन होने से सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये बाद जांच आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था जो नियमानुसार है। आवंटी के पास गुजर बसर करने हेतु अन्य कोई साधन नही है। भूमि आवंटन मे कोई अनियमितता नही हुई है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त कर आवंटन को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे आवंटन विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय से निरस्त किया जाने का कथन करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

6. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः अपील पर गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू का विनिश्चय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र मे अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.2.2015 को पटवारी द्वारा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने तथा आवंटन खारिज होने की बात कहने पर होना तथा जानकारी दिनांक 18.2.15 से नकले प्राप्त होने की दिनांक 20.2.2015 तक की अवधि मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश की जाना वर्णित किया गया। रेस्पो0 द्वारा अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 17.6.99 को आवंटन कमेटी द्वारा अपीलार्थी गोपी को विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी के पास उपलब्ध भूमि एवं आवंटित भूमि दोनो भूमि मिलाकर 15 बीघा से अधिक होने से भू आवंटन नियम 20 मे निहित प्रावधानों का उल्लघन होना तथा आवंटित भूमि अतिक्रमणशुदा भूमि होने से आवंटन

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

आदेश प्रारूप 5–ख मे नही होने से आवंटन कमेटी द्वारा अपीलार्थी को किया गया भूमि का आवंटन विधिसंगत नही होने से तहसीलदार नैंनवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) स्वीकार कर भूमि आवंटन दिनांक 17.6.99 जेरअपील निर्णय दिनांक 24.10.2002 से निरस्त किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि आवंटी भूमिहीन होने से सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये बाद जांच आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था जो नियमानुसार है। भूमि आवंटन मे कोई अनियमितता नही हुई है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया है। भू आवंटन प्रारूप के पुश्त पर बिन्दू सं0 1 लगायत 7 के संबध मे पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई है। बिन्दू सं0 4 मे अपीलार्थी/प्रार्थी व उसके परिवार मे सिंचित 2 बीघा 10 बिस्वा असिचित 8 बीघा कुल 10 बीघा 10 बिस्वा पिता के खाते मे से गोपी के हिस्से मे होना तथा बिन्दू सं0 5 मे आवंटित भूमि पर स्वयं अतिक्रमी होना पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट मे वर्णित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि आवंटी के पास उपलब्ध भूमि एवं आवंटित भूमि ख0 नं0 8 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, ख0 सं0 10 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल 10 बीघा 7 बिस्वा दोनो भूमि मिलाकर 15 बीघा से अधिक है ऐसी स्थिति मे भू आवंटन नियम 20 मे निहित प्रावधानों का उल्लंघन होने से आवंटन कमेटी द्वारा अपीलार्थी गोपी को किया गया भूमि आवंटन विधिसंगत होना नहीं माना जा सकता। जेरअपील निर्णय दिनांक 24.10.2002 मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकट उक्त अभिमत विधिसंगत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि0 24.10.2002 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

9 निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

22/2/21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा